266/12.50 pm

वित्तीय स्वीकृति/लेखानुदान/राजस्व–पक्ष
संख्याः ——— /XVII-5/2017-03(01)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांकः21 जुलाई, 2017**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक–2235 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2002/सै.क./बजट आवंटन/2017–18, दिनांक 21 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 व पूर्व निर्गत शासनादेश–312/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक–2235 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित **धनराशि रू0 1087.62 लाख (रू0 दस करोड़ सत्तासी लाख बासठ हजार मात्र)** को संलग्नक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के संगत शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या–41/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3. वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय

के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा राजस्व शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

7. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

11. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. उक्त स्वीकृत रू0–**10,87,62,000.00 (रू0 दस करोड़ सत्तासी लाख बासठ हजार मात्र)** का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या–**S1707150117, दिनांक 10 जुलाई, 2017** द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 694 (1)/ XVII-5/2017-03(01)/2017: तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुधीर जोशी)
उप सचिव।